

फर्द अहकाम

साक्षर क्लब - गोंय [2022/47]

वंशी बनाम कॅपरा वर्ग

मुकदमा संख्या वर्ष 21 / 2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		दलगत घारा 53, 188 RA. Sect. आज्ञा विस्तृत रूप से	
	10/3/22	करपी प्रताप सिंह वकील ने डावा पेश किया। रिपोर्ट के चुकी हुई धारा 80(2) CPC का प्रा. पत्र स्विकार किया जाता है। डावा दर्ज रजिस्टर की प्रतियां प्रतियोगिता के तलब की जाकर पत्रावली दिनांक 25/4/22 को पेश की।	
	25/4/22	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 03/6/22 को पेश हो।	
	03/6/22	वकील वाशि डण। प्रतियोगिता के तलब की जाकर पत्रावली दिनांक 03/8/22 को पेश की। 88ए	
	03/8/22	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 05/8/22 को पेश हो।	
	5/8/22	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16/08/22 को पेश हो।	
	16/8/22	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19/9/22 को पेश हो।	
	22/8/22	आज घट पत्रावली प्रा. पत्र विद्रा का पत्रावली पर तलब की गयी। वाशि मंत्र अधिवक्ता के उपस्थित बैठक में निर्देश किया कि प्रतियोगिता में कोई	09/22/22

88ए



क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>कार्यवाही नहीं लाया है। प्रकरण के विद्वांश के जमाने के अनुमति प्राप्त निवेदन किया। वांश के पदवार उनके अधिवक्ता कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा की गयी। पत्रावली का अपलोड किया गया। वांश के पत्रावली के विद्वांश के आधार पर खारिज किया जाता है पत्रावली की नकल से एक बेर डाकिल इष्टर है।</p> <p>SSR</p> <p>सहायक क्लर्क चौमू (जयपुर)</p>	

नाम न्यायालय
उभय पक्ष